निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 591) पटना, वृहस्पतिवार, 8 जुलाई 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

29 जून 2021

lE 08@vkjki&01&01@2020&6214@lkEiE—श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–567/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया के विरूद्ध निर्धारित माप दंड के अनुरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण/अनुश्रवण नहीं किये जाने, अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न कार्यो की समीक्षा समय समय पर नहीं किये जाने, वरीय पदाधिकारियों की आदेश की अवहेलन करने एवं बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1252, दिनांक 29.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री ठाकुर दिनांक 30.04.2021 को वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त हो गये है।

अतएव विभागीय पत्रांक–1893 दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी।

vkns'k& vkns'k fn;k tkrk g fd bl ldYi dh ifr fcgkj jkti= d vxy vd e idkf'kr fd;k tk; rFkk bldh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fljktlhu vlkjh]
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 591-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in